

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर (जिला योजना कार्यालय)

दुरमाप सं०-06432-275644 ई-मेल-dpo-deoghar@jharkhandmail.gov.in

## —: संशोधित आदेश :-

सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 78/मु0स0 दिनांक- 14.01.2020 के निदेश के आलोक में केन्द्र/राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने, पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलवाने एवं शिकायत समाधान हेतु उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त, देवघर की अध्यक्षता में प्रखण्ड/पंचायतवार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजन का रोस्टर माह :- मार्च, 2020 के लिए इस कार्यालय के आदेश/ज्ञापांक- 58/जि0यो0, दिनांक- 02.03.2020 द्वारा निर्गत आदेश में निम्नवत् संशोधित किया जाता है।

तिथि	दिन	समय	प्रखण्ड	स्थान
1	2	3	4	5
04.03.2020	बुधवार	11:00 बजे पूर्वा०	देवघर	गिधनी पंचायत
07.03.2020	शनिवार	11:00 बजे पूर्वा०	करौं	पथरोल पंचायत
11.03.2020	बुधवार	11:00 बजे पूर्वा०	मधुपुर	चरपा पंचायत
14.03.2020	शनिवार	11:00 बजे पूर्वा०	पालोजोरी	प्रखण्ड मुख्यालय
18.03.2020	बुधवार	11:00 बजे पूर्वा०	मोहनपुर	दहीजोर पंचायत
21.03.2020	शनिवार	11:00 बजे पूर्वा०	सारठ	सबैजोर पंचायत
25.03.2020	बुधवार	11:00 बजे पूर्वा०	देवीपुर	रामुडीह पंचायत
28.03.2020	शनिवार	11:00 बजे पूर्वा०	सारवाँ	डकाय पंचायत

कार्यालय आदेश/ज्ञापांक- 58/जि0यो0, दिनांक- 02.03.2020 में उल्लिखित शेष आदेश यथावत् रहेंगे।

*Handwritten signature*  
2/3/2020  
उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 60 /जि0यो0, देवघर दिनांक 02 मार्च, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, देवघर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त कार्यक्रम का प्रकाशन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त कार्यक्रम का प्रकाशन देवघर जिले के वेबसाइट में कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारी, देवघर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर/मधुपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कार्यालय प्रधान, देवघर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्य० अभि०, सभी अभियंत्रण कार्यालय, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- प्रतिलिपि :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निदेशक राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम जि०या०वि०अभि० देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जिला परिषद, देवघर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि आप अपने स्तर से सभी जिला परिषद सदस्य को सूचित कराने का कष्ट करेंगे।
- प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 78/मु०स० दिनांक- 14.01.2020 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
2/3/2020

उपायुक्त,  
देवघर।